# समाहरणालय, मुंगेर

(जिला विकास शाखा)

<u>आदेश</u>

कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के अर्न्तगत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तारापुर के पत्रांक 541 दिनांक 22.05.2010 द्वारा प्राप्त अभिलेख पर इस कार्यालय के पत्रांक 1041 दिनांक 18.06.2010 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त करते हुए प्राक्कलित राशि का 50% राशि कार्यान्वयन एजेन्सी को विमुक्त की गयी थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर ने अपने पत्रांक 458 दिनांक 11.04.2012 द्वारा योजना पूर्ण कराने हेतु अवशेष राशि की विमुक्ति का अनुरोध किये है। सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में निर्गत शर्तो के साथ निम्नांकित विवरणी के अनुरूप राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र. | योजना का नाम | कार्यान्वयन एजेंसी का नाम | प्राक्कलित राशि | पूर्व में विमुक्ति राशि | वर्त्तमान अवशेष राशि विमुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ग्राम गनैली में कब्रिस्तान की घेराबंदी | प्रा0 वि0 पदाधिकारी, तारापुर | 5,65,000 | 2,82,500 | 2,82,500.00 |

*(मो0 दो लाख बेरासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र)*

कार्यान्वयन एजेन्सी को निदेश दिया जाता है कि योजना कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र/डी0सी0 विपत्र तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें साथ ही साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को आदेश दिया जाता है कि अंतिम भुगतान के पूर्व योजना के कार्य स्थल का निरीक्षण स्वयं कर संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करें।

ह0/-

*जिला पदाधिकारी,*
*मुंगेर।*

*ज्ञापांक....116..../वि0, दिनांक 25/05/12*

*प्रतिलिपिः-* *कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।*

*प्रतिलिपिः-* *नाजीर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्तम्भ 6 में अंकित राशि का चेक प्र0 वि0 पदा0, तारापुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।*

*प्रतिलिपिः-* *जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।*

23/05/12

*जिला पदाधिकारी,*
*मुंगेर।*